प्रेषक.

राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

समस्त प्रमुख सचिव/ संचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

विषय :- उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय.

सरकारी सेवकों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को तात्कालिक आर्थिक संकट से उबारने हेतु "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974" (यथासंशोधित) निर्गत की गयी है। उक्त नियमावली में मृतक आश्रित की नियुक्ति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों एवं समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर किये जाने की व्यवस्था है। इस नियमावली में अब तक ग्यारह संशोधन किये गये हैं। मूल नियमावली तथा अब तक किये गये ग्यारह संशोधन संलग्न किये जा रहे हैं।

- मृतक आश्रित नियुक्ति के सम्बन्ध में योजित सिविल मिस. रिट याचिका संख्या-2228 (एस.एस) / 2014 प्रकाश अग्रवाल बनाम रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में मा. उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आंदेश दिनांक 17.04. 2014 के प्रस्तर-49 में निम्नलिखित संवीक्षायें की गयी है:-
- Application should be disposed of within three months from the date dependent applies for a job. Under Rules no timelimit is prescribed but intent of the rule is to provide immediate relief to the family to meet immediate financial crisis (Shiv kumar Dubey (supra)). In this background ,Appropriate Authority is supposed to dispose of such applications within a shortest possible time. In any case, application should not be kept pending for more than three months.

Appointment under theRules cannot be refused merely on the ground that financial status of the applicant is sound. Nor payment of retiral benefits at the time of death, furnishes any ground for refusal.

Non availability of posts is no ground to refuse appointment.

Appointment on Class III post can not be refused merely on the ground that deceased was Class III/IV employee.

Appointment has to be offered according to qualification and suitability of candidate and the applicant should be given an appointment commensurate therewith. If appointing authority does not give appointment on the post claimed by applicant because of non-suitability, reasons have to be recorded by the appointing authority.

- (f) Dependent of deceased has no right to claim particular position or place and it is in the discretion of the appointing aurhority to pass appropriate order warranted in the facts and circumstances of the case."
- 3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में मा. उच्च न्यायालय की उपर्युक्त संवीक्षओं का कृपया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करे। संलग्नक—यथोपरि।

(राजीव कुमार) प्रमुख सचिव।

संख्या-6/12/73 /का-2/2014- टी.सी-IVतद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।

- 2) निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
- 3) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
- 4) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
- 6) रजिस्ट्रार जनरल, मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 7) समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- क) समरत विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 9) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 10) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 11) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 12) वेव अधिकारी / वेव मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.शासन।
- 13) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमुर श्रीवास्तव) संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या 6/12/1973/नियुक्ति-4 लखनऊ, 7 अक्टूबर, 1974

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा तदर्थ समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की संक्षिप्त नाम भर्ती नियमावली. 1974 कहलायेगी।

(2) यह 21 दिसम्बर, 1973 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2-जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में-

परिभावाएं

- (क) सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप के संबंध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो—
 - (1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था : या
 - (2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजनों में, नियमित रूप से नियुक्त किया गया था : या
 - (3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

स्पष्टीकरण:—"नियमित रूप से नियुक्ति" का तात्पर्य यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये जाने से है,

- (ख) "मृत सरकारी सेवक" का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाए,
 - (ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे-
 - (1) पत्नी या पति,
 - (2) पुत्र,
 - (3) अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियाँ
- (घ) ''कार्यालय का प्रधान'' का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

3—यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर ज़ो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओ में और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

नियमावली का लागू किया जाना

4—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों के अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते भी यह नियमावली तथा तद्धीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव

5—यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् क़िसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये। जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती सेवायोजन के तिये आवेदन पत्र की विषय वस्तु 6-इस नियमावली के लिये नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र जिस पद पर नियुक्त अभिलक्षित है, उस पद से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायगा, किन्तु यह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा, जहां मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन-पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी:-

- (क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक, वह विभाग जहां और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कर रहा था,
- (ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम, उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह, सेवायोजन तथा आय संबंधी ब्योरे,
 - (ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा, और,
 - (घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं, यदि कोई हों।

प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हो

7—यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिये व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब, विशेषता उसके विधवा तथा अवस्यक सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया जायेगा।

आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिधितता

- 8-(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
- (2) चयन के लिये प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से, यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी पद विषेयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।
- (3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति केवल किसी विद्यमान रिक्ति के प्रति की जायेगी।

सामान्य अर्हताओं के सब्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान

9-किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि-

- (क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा है कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है,
- टिप्पणी:-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं समझे जायेंगे।
 - (ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हैं जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाघा पड़ने की सम्मावना हो तथा इस बात के लिये अभ्यर्थी से उस मामले में लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी।
 - (ग) पुरुष अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हों और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया जो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

कठिनाइयो को दूर करने की शक्ति 10-राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबंध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके विद्यमान होने के बारे में वह एकमात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसे सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

आज्ञा से, गुलाम हुसेन, आयुक्त एवं सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग

अनुभाग-2 प्रकीर्ण

28 फरवरी, 1981 ई0

सं० 4/7-1979-कार्मिक-2-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उ०५० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (प्रथम संशोधन) नियमावली. 1981 कही जायगी।

(2) यह युरन्त प्रवृत्त होगी।

2—नथे नियम 5—क का बढ़ाया जाना—उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में, नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा।

मई, 1973 में मृत पुलिस/पी०ए०सी० कार्मिकों के कुटुम्ब के सदस्य की भर्ती-

"5-क-नियम 5 या किसी अन्य नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध पुलिस या प्राविन्शियल आर्म्ड कान्सटेबुलरी के ऐसे बाईस कार्मिकों के, जिनकी मृत्यु मई, 1973 में हुए उपद्रव के परिणाम स्वरूप हुई थी, कुटुम्ब के सदस्यों के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते हैं।"

आज्ञा से, मोहन चन्द्र जोशी, सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4/7/1979-Personnel-2, dated February 20, 1981:

टिप्पणी-राजपत्र दिनांक 27-2-82, भाग 1-क में प्रकाशित है। [प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित] No. 4/7/1979-Personnel-2 February 20, 1981

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules:

The Uttar Pradesh Recruitment of Dependents of Government Servants Dying in Harness (First Amendment) Rules, 1981

- Short title and commencement— (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (First Amendment) Rules, 1981.
 - (2) They shall come into force at once.
- 2. Insertion of new rule 5-A.—In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, after rule 5, the following rule shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted:
 - "5-A. Recruitment of member of the family of Police/P.A.C. personnel, who died in May, 1973-Notwithstanding anything to the contrary contained in rule 5 or in any other rule, the provisions of these rules shall apply in the case of members of the family of twenty-two Police or Provincial Armed Constabulary personnel who died as a result of disturbances in May, 1973 as they apply in the case of a Government Servant dying in harness after the commencement of these rules.

By order, MOHAN CHANDRA JOSHI, Secretary.

तत्तर प्रतेश रारकार कार्गिक अनुभाग=2

संख्या 6/12/1973-कार्मिक-2 लखनक, विनांक 12 अगस्त, 1991

अधिसूचना

संविधान से अनुकोद 309 से परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल विम्नविश्वित विसमासली बनाते हैं =

> चत्तर प्रवेश रोवाकाल में मृत सरकारी रोवकों के आश्रितों की भर्ती (द्वितीय रांशोधन) नियमावली, 1991

साहिता वास 141711 7PM

(i) यह नियमावली उत्तर प्रवेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (दितीय संशोधन) नियमावली, 1991 कही जाएगी।

(३) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

कि ह=मधर्म FUTURE THU

इन तत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में, िष्से आगे त्रवत निधमावली कहा गया है, भीचे स्तम्भ-1 में दिए गए नियम-3 के स्थान पर, नीचे रतमा=३ मे विसा गसा निसम रख विसा जाएगा, अर्थात् :=

1=16177 वर्तमान नियम

िशमानली का लागू किसा जाना

3-सह निसमावली तन रोवाओं नियमावली और पत्तों को छोड़कर जो का लागू तत्तर प्रवेश लोक रोवा आयोग किया जाना के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं, उत्तर प्रतेश को कारी-कलाप रो सम्बन्धित लोक रोवाओं में और पदों पर मृत रारकारी रोवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

रतमा-2

एतद्द्वारा प्रतिरथापित नियम 3-यह नियगावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर, जो उत्तर प्रदेश लोक रोवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं या जो पूर्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत थे और कालान्तर में उन्हें उत्तर प्रदेश अधीनरथ रोवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप से राम्बन्धित लोक रोवाओं में और पदों पर गृत रारकारी रोवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होंगे।

विसम=भ का संभागन

3-उक्त नियमावली के नियम-8 में उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जाएगी: प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जाएगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जाएगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।"

आज्ञा से. ओ०पी० आर्य, सचिव।

संख्या 6/12/1973(1) कार्गिक-2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नितिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-, 1-समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

शचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

3-सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4-निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।

5-आयुक्त अनुसूचित जाति तथा जन जाति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6-निदेशक, प्रशिक्षण एवं शेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनक।

r-समस्त मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी संचित्। 8-सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9-सचिव विधान सभा/विधान परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आज्ञा से. जय दयाल पुरी, संयुक्त सचिव।

2 Sa Karinik 2014 Data 2

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6//XII/1973-Personnel-2, dated August 12, 1991:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH PERSONNEL SECTION-2

No. 6/12/1973-Personnel-2 Dated Lucknow, August 12, 1991

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules :-

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS(SECOND AMENDMENT) RULES, 1991.

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Second Amendment) Rules, 1991.

Short title and commencement

- (2) They shall come into force atonce.
- 2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, hereinafter referred to as the said rules, for rule 3 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 below shall be substituted, namely:-

of Substitution rule 3

COLUMN-1

Existing rule

3. These rules shall apply to Application of the recruitment of dependants of the rules deceased Government servants to public services and posts in connection with the affairs of State of Uttar Pradesh, except services and posts which are within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission.

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

3. These rules shall apply to Application of recruitment of dependants of the deceased Government servants to public services and posts in connection with the affairs of State of Uttar Pradesh, except services and posts which are within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission or were previously within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission and have later on been placed within the purview of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission.

3. In rule 8 of the said rules for sub-rule (3), the following sub-rule shall be Amendment of substituted, namely :-

rule 8

"(3) An appointment under these rules shall be made in the existing vacancy:

Provided that if no vacancy exists, the appointment shall be made forthwith against a supernumeraty post which shall be deemed to have been created for this purpose and which shall continue till a vacancy becomes available.

> By order. O. P. ARYA. Sachiv

उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग–2

रांख्या 6/12/73/कार्मिक-2/93 लखनऊः दिनांक 16 अप्रैल, 1993

अधिसूचना प्रकीर्ण

रांविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश रोवाकाल में मृत रारकारी रोवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1993

संक्षिप्त नाग और प्रारम्भ 1-(1) यह नियमायली उत्तार प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमायली 1993 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-5 का संशोधन 2—उत्तर प्रदेश रोवाकाल में मृत सरकारी रोवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे रतम्भ—1 में दिये गये नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:—

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम

यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के

मृतक के कुटुम्ब पश्चात् किसी के किसी सदस्य की भर्ती सरकारी सेवक

की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हों, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदस्य उस पद के लिये विहित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा वह अन्य प्रकार से भी सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो। ऐसी नौकरी अविलम्ब और यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

5-(1)यदि इस नियगावली के प्रारम्भ होने के

मृतक के कुटुम्ब पश्चात् किसी के किसी सदस्य की भर्ती सरकारी सेवक

की सेवाकाल में
मृत्यु हो जाय तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक
सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य
सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य
सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा
नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से
सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये
आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों
को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में
उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो
राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न
हो, यदि ऐसा व्यक्ति:—

- (एक) पद के लिये विद्ति शैक्षिक अर्हता रखता हो,
- (दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिये अर्ह हो, और
- (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आदेदन करता है:

स्तम्भ–1 वर्तगान नियम

स्तग्भ—2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय-संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसी नौकरी यथाशक्य उसी विभाग में दी जानी चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

> आज्ञा से, ओ0 पी0 आर्य, सचिव।

संख्या 6/12/1973(1) का0-2-93, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निग्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित :-

- 1-समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2-सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3—सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4-निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / लखनऊ।
- 5-आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6-निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7-समस्त सलाहकारों के. सूचनार्थ उनके निजी सचिव।
- 8-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9--सिचव, विधान सभा / विधान परिपद् उ०प्र०, लखनऊ।
- 10—समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

आज्ञा से, डा0 जी0 डी0 माहेश्वरी, संयुक्त सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/12/1973-Personnel-2, dated April 15, 1993:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PERSONNEL SECTION-2 No. 6/12/1973-Personnel-2/93 Dated, Lucknow April 16, 1993

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (THIRD AMENDMENT) RULES, 1993

Short title and commencement

- 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of depandants of Government Servants Dying in Harness (Third Amendment) Rules, 1993.
 - (2) They shall come into force at once.

Amedndment of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependents of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, rules 5 set out in Column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1 Existing rule

Recruitment of a member of the family of the deceased

5. In case a Government Recruitment of a servant dies in harness after the member of the family of the commencement of those rules, one deceased member of his family who is not already employed under the Central Government or a State. Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government Government shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government service which is not within the purview of the State Public Service Commission in relaxation of the recruitment rules, provided such member fulfils the educational qualification prescribed for the post a no is also otherwise qualified for Government service such employment should be given without delay and, as far as possible, in the same department in which the deceased Government servant was employed Prior to his ucadi.

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

- 5.(1) In case a Government servant dies in harness after the commencement of those rules, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an application for the purpose, by given a suitable employment in Government service which is not within the purview of the State Public Service Commission in relaxation of the normal recruitment rules, if such person-
- (1) Fulfils the educational qualifications prescribed for the post.
- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years of the date of death of the Government Servant:

COLUMN-1
Existing rule

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

Provided that the where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or Relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

(2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servant was employed prior to his death.

> By order, O.P. ARYA, Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार कार्गिक अनुगाग–2

रांख्या ६/१२-७३-का०-२-१९९४ लखनऊ, २१ अप्रैल, १९९४

अधिसूचना

संविधान के अनुब्धेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रिरों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनारों हैं:-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकी के आश्रितों की भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश रोवाकाल में मृत सरकारी रोवकों के आश्रितों की सक्षित नाम भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—उत्तर प्रदेश रोवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, नियम 5 का 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख संशोधन दिया जायेगा, अर्थात:-

.... anta New Data 2 doc

वर्तमान निदम

एतदङारा प्रतिस्थापित नियम

मुलक के कहाब के किसी सदस्य की 25/9

5-(1) यदि इस नियमावसी के मृतक के कुटुन के प्रारम्म होने के पश्चात किसी सरकारी किसी सदस्य की सेवक की रोवाकाल में मृत्यु ही जाये तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार दा राज्य सरकार के स्वासित्वाधीन द्या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले सं संवायंजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आदेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेदा में, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत न हो, यदि ऐसा व्यक्तिः-

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अईता रखता हो,

(दो) अन्य प्रकार से सरकारी सेवा के लिये अई हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की नृत्यु के दिनांक के पांच वर्ष के मीतर सेवायोजन के लिये आदेदन करता है :

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि संदायोजन के लिये आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुबित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें दह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्न रीति से कार्यदाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसी नौकरी यथाशक्य उसी दिभाग में दी जानी चाहिये जिसमें

5-(1) यदि इस नियमादली कं प्रारम्म होने के पहचत किसी सरकारी संदक की संदाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, बेन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वानित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवाबोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर मर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में, ऐसे पद को छोड़कर किसी पद पर उपयुक्त संवायोजन प्रदान किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश लोक संदा क्षयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, या, जी पहले उत्तर प्रदेश लोक सेदा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत था और उसे बाद में उतार प्रदेश अधीनस्य सेदा चयन आयोग के क्षेत्रात्तर्गत स्छ दिया गया है, यदि ऐसा व्यक्ति:-

(एक) पद के लिए दिहित शैक्षिक अर्हताचें पूरी करता हो,

(दों) सरकारी सेदा के लिये अन्यया अर्ह हो, और

(टीन) सरकारी सेंद्रक की नृत्यु के दिनांक से पांच दर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये करता है :

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समायान हो जाये कि सेदायोजन कें लियें आवेदन करने के लिये नियत त्तनय सीना से किसी दिशिष्ट मामले से अनुचित कठिनाई होती है. वहां दह अपेक्षओं को जिन्हें दह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक सनझे अनिनुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसा सेवायोजन यथासम्मद उसी विभाग में दिया जाना चाहिये

मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्य के पूर्व सेवायोजित था।

िरासमें सुद सरकारि संदयः अपनि मृत्यू के पूर्व सामामाजिय कर।

> SHIND AND HILLADY सिमात् ।

HUN 6/12/73-00-2-54/1) RETERIA

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेल् प्रेणित :-

1-समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2-सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

3-सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4-निबन्धक उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद / लाहनङ ।

5-आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तर प्रदेश, लखनक।

6-निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनक।

7-सगस्त मंत्रियों के सूचनार्थ उनके निजी समित।

8-सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9-सचिव, विधान सभा / विधान परिषद उत्तर प्रदेश, लखनर ।

हात चीत होत मार्चिति।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 34% of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of nexisfication no. 6/12/1973-Personnel-2/94, dated April 21, 1994:

> GOVERNMENT OF LITTAR PRADESH PERSONNEL SECTION-2

No. 6/12/1973-Personnel-2 Dated, Lucknow, April 21, 1994

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (FOURTH AMENDMENT) RULES, 1994

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of dependants of Short title and Government Servants Dying in Harness (Fourth Amendment) Rules, 1994.

CONTRIDUCTORION

(2) They shall come into force at once.

2. In the Utar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants. Amendment of Dying in Harness Rules, 1974 for rules 5 set out in Column 1 below the rule as set out in nike 5 Column 2 shall be substituted, namely:-

- - " - Orighton Das The

COLUMN-I Existing rule

Recruitment of a member of the family of the deceased

5. (1) In case a Government Recruitment of a servant dies in harness after the commencement of these rules, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or Government Shall on making an application for the purposes, be given a suitable employment in Government Service which is not within the purview of the State Public Service Commission is relaxation of the normal recruitment rules, if such person-

- (i) fulfils the educational qualification prescribed for the post,
- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years of the date of the death of the Government Servant:

Provided that the where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or Relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

(2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servants was employed prior to his death.

member of the family of the deceased

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

- 5. (1) In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government a Corporation owned or the by controlled Government or a State Government shall on making an application for the purposes, be given a suitable employment in the Government Service on a post except the post which in within the purview of the Uttar Pradesh Public Service which Commission. OF previously within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission and has, later on, been placed within the perview of the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission. relaxation the of normal recruitment rules if such person-
- (i) fulfils the educational qualification prescribed for the post,
- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant:

Provided that the where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or Relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

(2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servants was employed prior to his death.

> By order, R.B. BHASKAR, Sachiv.



रिजिस्ट्रेशन नं0-एल०बस्तू० / एन०पी०-890 लाइरोन्स नं० बस्तू० पी०-41 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सोशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—4. खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 20 जनवरी, 1999 पौष 30, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्गिक अनुभाग-2

संख्या 6/12-73-का०-2-1999 लखनक, 20 जनवरी, 1999

> अधिसूचना प्रकीर्ण

सा0प0नि0-27

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रवेश रोपाकाल में गुर रास्कारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियम्पवली 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विकास के वकार ें –

उन्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आधितों की भर्ती (पांचवाँ सशोधन) नियमावली, 1999

1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश रोवाकाल में मृत सरकारी रोवको के आधितों की स्वकृत वाल और भूतमें (पास्तवी संशोधन) नियमावली, 1999 कही आयेगी।

()। सह तरस्य प्रसत्य होगो।

-- t at dis ?

नियम इ क HAIRM

2-रत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की मर्ती नियमावली. 1924 में नीचे स्तम्म-1 में दिये गये वर्तमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्म-2 में दिया गया विसम रख दिया जायेगा अर्थात:-

> 1-147 वतमान नियम

प्रतक के कुटुख की धती

5-(1) यदि इस नियमावली के के किसी सदस्य प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय तो तक्के कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वाभित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी नियम के अधीन एइले से सेवायोजित न हो इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में ऐसे पर को छोड़कर किसी पद पर उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया लाएगा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो या, जो पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत था और उसे बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया दिया मया है यदि ऐसा व्यक्ति :-

> (एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो

> (दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और

> (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यू के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता हैं

> परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले से अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अनेखाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

> (2) ऐसा सेवायोजन, यधासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

स्तम्भ-2

मृतक के कुटुम्ब " के किसी सदस्य की भती

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 5-(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोडकर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति :-

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता हैं

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

> आज्ञा से, सुधीर कुमार, सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII/73-Ka-2-99, dated January 20, 2006:

No. 6/XII/73-ka.-2-99

Lucknow dated, January 20, 1999

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (FIFTH AMENDMENT) RULES, 1999

Short title and commencement

- 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of dependants of Government Servants Dying in Harness (Fifth Amendment) Rules, 1999.
 - (2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 for existing rules 5 set out in Column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-

family of the

COLUMN-1

Existing rule

Recruitment of a member of the family of the deceased.

5. (1) In case a Government Recruitment of a servant dies in harness after the member of the commencement of these rules, one deceased. member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or Controlled by the Central Government or a State Government shall on making an application for the purposed, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission or which was previously within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission and has, later on, been placed within the purview of the Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission in relaxation of the normal recruitment rules if such person-

- (i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post,
- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant:

Provided that where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

- 5. (1) In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules and spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central government or a State Government or a Corporation owned or Controlled by the Central Government State or Government, one member of his family who is not employed under the Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Government or a State Government Shall, on making an application for the purposes, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules if such person-
- (i) fulfils the educational qualifications prescribed for the
- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant:

Provided that where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or Relax

COLUMN-I

Existing rule

Relax the requirement as it may consider necessar, for dealing with the case in a just and equitable manner.

 As for as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government servant was employed prior to his death.

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

(2) As for as possible, such an employment should be given in the search of partment in which the deceased Covernment servant was employed prior to his death.

By order,
SUDHIR KUMAR,
Sachiv.



रजिस्ट्रेशन नं0-एल०डब्लू०/एन०पी०-890 लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 12 अक्टूबर, 2001 आश्विन 20, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 6/12-73-का०-2-2001 लखनऊ, 12 अक्टूबर, 2001

> अधिसूचना प्रकीर्ण

सा०प०नि०-36

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (छटां संशोधन) नियमावली, 2001

- 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की संक्षिपा नाम নবী 'छठा संशोधन') नियमावली, 2001 कही जायेगी।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नियम -2 में नीचे स्तम्म-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:--

स्तम्भ-1 वर्तमान खण्ड

"कुटुम्ब" (**ग**) अन्तर्गत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :-

1--पत्नी या

पति,

2-47. 3-अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा पुत्रियां।

स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत सेवक सरकारी निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :-1-पत्नी या पति,

2-47.

पुत्रियां 3—अविवाहित

तथा विघवा पुत्रियां। सेवक 4—मृत सरकारी निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित वहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

नियम-5 का संशोधन

3-उक्त नियमावली में नियम-5 में वर्तमान उपनियम 2 (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढा दिये जायेंगे, अर्थात :-

"(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।"

4-जहां उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उपनियम (3) क्रे अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाएं, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

> आज्ञा से, डा० हरिकृष्ण, सचिव।



व्यक्तिक द्वार्ट (ट कन्युक्रमच १८ वर्षक दिवन्तुन मा १४४४ मा एप्रदेशम मध्य दिवन्त्रान्तुन दिवन

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—4. खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 28 जुलाई, 2006 शावण 6, 1928 शक सम्बत्

> उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 6/12-73-काभिक-2-2006 लखनऊ, 28 जुलाई, 2006

> अधिसूचना प्रकीर्ण

सा०प०नि०-45

(I

fre

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाट उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006

- 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आधितों की सक्षिण नाम भर्ती (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी। और प्रारम्भ
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

Data 24th arma 12 No. Novelin pure 21th discussion 2

नियम-६ का प्रतिस्थापन

2-उत्तर प्रदेश रोवाकाल में मृत सरकारी रोवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम एख दिया जायेगा, अर्थात:-

> रताभ-1 विद्यमान नियम

रतम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

मृतक के कुदुम्ब की भती

5-(क) यदि इरा नियमावली के मृतक के कुटुम्ब रोवक की रोवाकाल में मृत्यु हो जाये की भर्ती और गृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी रिधति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय रारकार या किसी राज्य सरकारं के रवागित्वाधीन या उराके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले रो रोवायोजित न हो तो उसके कटुम्ब के ऐसे एक सदस्य की जो, केन्द्रीय रारकार या राज्य रारकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के रवागित्वाधीन या उराके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से रोवायोजित न हो, इरा प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर मतीं के किसी सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोडकर जो उत्तर प्रदेश लोक रोवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों, उपयुक्त रोवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति:-

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अहंतायें पूरी करता हो,

(दो) सरकारी रोवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यू के दिनाक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है:

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह रागाधान हो जाये कि रोवायोजन के लिये नियत रामय सीमा से किसी विशिष्ट मामले रो अनुवित कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह गागले में न्यायसंगत और साम्यपुणं रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिगुक्त या शिथिल कर राकती है।

5-(क) यदि इस नियमावली कं के किसी सदस्य प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी के किसी सदस्य प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी रोवक की रोवाकाल में मृत्य हो जाये और गृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय रारकार या राज्य सरकार के रवागित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित. किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से रोवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिये आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी रोवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोडकर जो उत्तार प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हों. उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्त:-

> (एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिये अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिये आवेदन करता है:

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाघान हो जाये कि सेवायोजन के लिये आवेदन करने के लिये नियत रामय सीमा से किसी विशिष्ट मामले से अनावश्यक कठिनाई होती है वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले मं न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति सं कार्यवाही करन के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

<u>सम्भ−१</u> विद्यापन निद्यम

- (2) ऐसा सेवायोजन यथासंभव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।
- (3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।
- (4) जहां उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये दह उप नियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाये, समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

44221-5

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

परन्तु थहं और कि एपर्युक्त परन्तुक के
प्रयोजन के लिये सम्बद्ध व्यक्ति कारणो
को स्पष्ट करेगा और आवर्यन करने के
लिये नियत समय सीमा के अवसान के
परमात सेवायोजन के लिये आवर्यन
करने के विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में
ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक
अभिलेखों/सद्भत सहित लिखित में
समुचित औदित्य देगा और सरकार
विलम्ब के कारण के लाये समी तथ्यों
पर विचार करते हुये समुचित निर्णय

- (2) ऐसा सेवायोजन यधासंभव उसी विभाग में दिया जाना चाहिये जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।
- (3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति. इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।
- (4) जहां उप नियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिये वह उप नियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

आज्ञा से, उमेश सिन्हा, सचिव।

IN pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/12/1974. Personnel-2/2006, dated May, 2006:

No. 6/12/1973-Personnel-2-2006

Dated Lucknow, July 28, 2006

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh recruitment of Dependents of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDENTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARMESS (SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2006

Short title and commencement

- 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Recruitment of dependents of Government Servants Dying in Harness (Seventh Amendment) Rules, 2006.
 - (2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependents of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974 for existing rules 5 set out in Column 1 below the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1 Existing rule

Government or a Corporation

owned or controlled by the Central Government or a State

Government, one member of his

family who is not already

employed under the Central

Recruitment of a member of the family of the decrased

- 5. (1) In case a Government Recruitment of a servant dies in harness after the member of the commencement of these rules, deceased family of the and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central Government or a State
- Government or a Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall on making an application for the purpose, be given a suitable emploment in the Government Service on a post except the post which in within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules if such person-(i) fulfils the educational
- qualification prescribed for the
- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant.

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

- 5. (1) In case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall on making an application for the purpose, be given a suitable employed in the Government Service on a post except the post which in within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules if such person-
- (i) fulfils the educational qualification prescribed for the post,
- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government Servant.

COLUMN-1 Existing rule

Provided that the where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or Relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

- (2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servants was employed prior to his death.
- (3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deased Government servant who were dependent on the deased Government servant immediately before his death and are unable maintain themselves.
 - (4) Where the person appointed under sub-rule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his services may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.

allat Karmini I Sa Nepulus page 30 to decima 3

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

Provided that the where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or Relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner;

Provided further that for the purpose of the aforesaid proviso the person concerned shall explain the teasons and give proper justification in writing regarding the delay caused in making the application for employment after the expiry of the trime limit fixed for making the application for employment alongwith the necessary document/proof in support of such dealy and the Government shall, after taking into consideration all the facts leading to such delay take the appropriate decision.

- (2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government Servants was employed prior to his death.
- (3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deceased Government servant, who were dependent on the deased Government servant immediately before his death and are unable maintain themselves.
- (4) Where the person appointed under sub-rule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his service may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.

By order, UMESH SINHA, Sachiv

मानिक्ता अस्त्रा १९ १३ कामिक ३-३(१)३ अस्त्रा १९ १३ कामिक ३-३(१)३ अस्त्रा १९ १३ कामिक ३-३(१)३

संक्रिया के अवस्थित केल के पान्या मानता भानता भानता मानी करके राज्यापाल चतार प्रदेश रिकक्षात में भूत पानकारी रिक्को के आक्रियों को गती निक्यावली 1934 में संस्थीयन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विकास केला है

चतार प्रवेश सेवाकाल में पुत सरकारी सेवकों को आश्रितों की गर्ती (धावनों संशोधन) नियमावली, ३५०३

क्षेत अप भी १=(1) अंत्र निमामलयो ततार प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवको के आभितो की भरण भंभी (अन्तमी समामयो अपने करी जानेगी।

(धित काझा क्या हम (द्व

444 4 44

के तितार प्रदेश रोपाकरन में इत सरकारी सेनकों के आधितों को भर्ती नियमानती. 1974 में विसम् के में स्वास्त । में दिये गये वर्तमान खान्छ (ग) को स्थान पर स्तम्म-३ में दिया गया स्वरूप रेख विस्त रामसेश स्थान-

स्तिमान स्थापन

भाग प्राथमिक के भागान प्रका सिकारी तिकार के स्थान

1-474 14 1479-1

17-6

 कृत सरकारी सेवक पर विशेष अविवाहित मार्थ अपिवाहित बहन और विषया भारत अपि कृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

स्तम्म-३ एतदद्वास प्रतिस्थापित खण्ड

(भ) खुडुम्ब के अन्तर्गत मृतक सरकारी सेउक के निम्नलिखित सम्बन्धी होमें-

१-पत्नी वा पति

3-93

अविवाहित पुत्रियां तथा विधवा
 पुत्रियां

4- मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित थाई अविवाहित बहुन और विभवा माता यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित थाः

परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के लगरिजिलावित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुप्रयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिये अपात्र हो तो केवल रेसी रिथति में शब्द 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियों भी साम्मिलित होगी।

आज्ञा से तमेश सिन्हा, सदिव। In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/12/1973-Personnel-2/2006, dated February 9, 2007:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PERSONNEL SECTION-2

NOTIFICATION

Miscellancous

No. 6/12/1973-Personnel-2-2007

Dated Lucknow, February 09, 2007

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (EIGHTH AMENDMENT) RULES, 2007

- 1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Recruitment of Short title and Dependants of Government Servants Dying in Harness (Eighth Amendment) Rules, Commencement 2007.
 - (2) They shall come into force at once.
- 2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Govrnment Servants Dying in Harness Rules, 1974, in rule 2, for existing clause (c) set out in column 1 below, the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely:—

Amendment of rule 2

COLUMN-1

Existing Clause

- (c) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant:—
 - (i) wife or husband;
 - (ii) sons;
- (iii) unmarried and widowed daughters;
- (iv) ummarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependant on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried:

COLUMN-2

Clause as hereby substituted

- (e) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant:—
 - (i) wife or husband;
 - (ii) sons;
 - (iii) unmarried and widowed daughters:
- (iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependant on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried:

Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situation the worked "family" shall also include the grandsons and the unmarried grand daughters of the deceased Government servant dependant on him.

By order, UMESH SINHA, Sachiv,



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

लखनक, बृहरपतिवार, 22 दिसम्बर, 2011 पौत्र ठा, 1933 शक सम्बत्

> उत्तर प्रदेश रारकार कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-6/12/73-का-2/2011 दीव्सी०-IV लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2011

> अधिसूचना प्रकीर्ण

es-Flovons

संविधान के अनुसम्द 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्ता शवित का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तार प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आबितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं —

> उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी रोवकों के आश्रितों की भर्ती (नवाँ संशोधन) नियमावली, 2011

বারিখা নাম আরু মারকা

1-(1) यह निवंशावली उत्तर प्रदेश शेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आखितों की मती (नवों संशोधन) निवंशावलों, 2011 कही जायेगी।

(3) यह बेंड्स प्रकृत होती।

सम्बद्धाः चित्रस्य ३ 🕾

When Whendy to being the winds in a

2-वत्तर प्रदेश रोधाकाल ने मृत्र (स्प्कारी सेवकों के आधियों की मर्ना नियमतारी, 1972 में नियम 2 में तीथ स्वमा-1 में दिन पूर्व निर्मान खण्ड (६) भी स्थान पर स्वाम्म 2 में दिया पना खण्ड रख विचा काएमा, क्षांत

जिल्लामा स्थापन रामाना स्थापन

(ग) 'कुटुम्ब'' को अन्तर्गत मृत रारकारी रोवक को निम्नत्विखित सम्बन्धी होंगे =

1-पत्नी था पति.

2-43

3=अविवाहित पुत्रिशौँ तथा विधवा पुत्रिशौँ

4-पृत रारकारी रोवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहुन और विधवा भाता, शदि पृत रारकारी रोवक अविवाहित था:

परन्तु यदि मृत सरकारी सेनक के उपरिजल्पियत सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित जपल्य नहीं है या वह सारीरिक और भानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपान हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आसित पौत्र और अविवाहित पौत्रियों भी सम्भित होंगी।

1911-3

एतन्द्वारा प्रतिस्थाणित खण्ड

(ग) 'शुद्धान' ने अन्तर्गत मृत सरकारी सेनक ने निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :=

(एक) पत्नी आ पति.

(बी) पुत्र / बलाक पुत्र

(तीच) अविवाहित पुत्रिमों, अविवाहित वत्तक पुत्रिमों, विधवा पुत्रिमों और विधवा पुत्र वधुएँ,

(भार) मृत सरकारी रोवक पर आशित अविवाहित भाई, अविवाहित बहुच और विधवा भाता, सदि मृत सरकारी रोवक अविवाहित भा.

(भौच) ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यामलम द्वारा 'मृत' के रूप में घोषित किया गमा है, के उपरित्तिलखित सम्बन्धी :

परन्तु यदि भृत रारकारी रोवक के जपरिजिल्लेखित राम्बन्धिमां में से किसी रो सम्बन्धित कोई व्यक्ति जपलब्ध नहीं है मा वह शारीरिक और मानसिक रूप रो अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में निमानन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी रिधाति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्भत भृत रारकारी सेवक पर आश्रित पीत्र और अविवाहित पीत्रियों भी सम्मितित होंगी।

आज्ञा रो, कुँवर फतेह बहादुर, प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII-1973-Personnel-2-2011 T.C.-IV, dated December 22, 2011:

Miscellaneous

No. 6/XII-1973-Personnel-2-2011 T.C.-IV Dated Lucknow, December 22, 2011

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to anxending The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (NINTH AMENDMENT) RULES, 2011

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Recuritment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Ninth Amendment) Rules, 2011.

Short title and Commencement

(2) They shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependance of Government Servants

Dying in Harness Rules, 1974, in rule 2, for existing clause (c) set out in column 1

below, the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely 5—

COLUMN-I

Existing Clause

- (C) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant:—
 - (i) wife or husband;
 - (ii) sons:

EDetaZulKarmitili Sa Niyatri page 20 toutre-late-2

- (iii) unmarried and widowed daughters;
- (iv) ummarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependant on the deceased Government servent, if the deceased Government servant was unmarried;

Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentaly unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situation the word "family" shall also include the grandsons and the unmarried granddaughters of the deceased Government servant dependant on him.

COLUMN-II

Clause as hereby substituted

- (C) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant:—
 - (i) wife or husband;
 - (ii) sons/adopted sons;
- (iii) unmarried daughters, unmarried adopted daughters, widowed daughters and widowed daughters-in-law;
- (iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependant on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried;
- (v) aforementioned relations of such missing Government servant who has been declared as "dead" by the competent court:

Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situation the word "family" shall also include the grandsons and the unmarried granddaughters of the deceased Government servant dependant on him.

By order, KUNWAR FATEH BAHADUR, Pramukh Sachiv.



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एरा०एस०पी०/एल०-डब्लू० / एन०पी०-91 / 2011-13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विघायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 जनवरी, 2014 पौष 27, 1935 शक सम्वत्

> उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 6/12/73/का-2-टी०सी०-IV लखनऊ, 17 जनवरी, 2014

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सा0प0ि10-5 सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती

(दसवॉ संशोधन) नियमावली, 2014

1-(1) यह नियगावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवको के आयितों की भर्तों सक्षेत्र नाम (दसवॉ संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नियम-5 का नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् -

विद्यमान नियम

5-गतक के क्टुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती— (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में गुला हो जाये और गृत सरकारी रोवक का पति या पत्नी (जैसी भी रिथति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उराके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कृद्भ्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय भ सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के आधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी रोवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक रोवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त रोवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :-

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अहंताएं पूरी करता हो,

64131-5

एतन्द्वारा प्रतिरथापित नियम

n-गतक के मुद्रुम्ब के किसी रावर्थ की गतीं (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किशी सरकारी शेवक की शेवाकाल में मृत्यु हो जाये और भृत सरकारी रोकक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय रारकार या किशी राज्य शरकार या केन्द्रीय शरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुट्राब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अधवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाचीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए सरकारी रोवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :-

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :

परन्तु यह कि. यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अहंता के रूप मे विहित किया गया है, और मृत सरकारी रोवक के आश्रित के पास टकण भे अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टकण भे 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने मे विफल रहता है तो उसकी वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जाएगी, और टंकण भे अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अमेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ायी गयी अविध में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी.

स्ताग-1

विद्यमान नियम

- (दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और
- (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाघान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट गामले में अनावश्यक कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बद्ध व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिए आवेदन करने के विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/ सबूत सिहत लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लाए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।

- (2) ऐसा सेवायोजन यथासम्भव उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।
- (3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असार्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के टीक पूर्व आश्रित थे।
- (4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियगावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

स्तम्।-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा कई हो, और (तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के नीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् किटनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय—सगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यदाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती हैं:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात संवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में अवश्यक अमिलेखों / सबूत सहित लिखित में समुद्धित औवित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विवार करते हुए समुद्धित निर्णय लेगी।

- (2) जहाँ तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन ठसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।
- (3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।
- (4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, सभय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी रोवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाज की जा सकती हैं।

आज्ञा से, राजीव कुमार, प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the fellowing English translation of notification no.6/XII/73/Ka-2-T.C-IV, dated January 17, 2014:

No.6/XII/73/Ka-2-7.C-IV

Dated Eucliness January 17, 2014

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (TENTH AMENDMENT) RULES, 2014

Short title and commencement

- 1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Tenth Amendment) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, for existing rule 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1

Existing rule

5. (1) Recruitment of a member of Government servant dies in narness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

5. (1) Recruitment of a member of the family of the deceased- in case a the family of the deceased- in case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central Government or Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government Service on a post except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal recruitment rules if such of the normal recruitment rules if such person-

COLUMN-I

Existing rule

(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post,

- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government servant:

Provided that where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided further that for the purpose of the aforesaid proviso, the person concerned shall explain the reasons and give proper just fication in writing regarding the delay caused in making the application for employment after the expiry of the time limit fixed for making the application for employment along with the necessary documents/ proof in support of such delay and the Government shall, after taking into consideration all the facts leading to such delay, take the appropriate decision.

- (2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government servant was employed prior to his death.
- (3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deceased Government servant, who were dependent on the deceased Government servant immediately before his death and are unable to maintain themselves.

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

(i) fulfils the educational qualifications prescribed for the post:

Provided that in case appointment is to be made on a post for which typewriting has been prescribed as an essential qualification and the dependent of the deceased Government servant does not possess the required proficiency in typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the requisite speed of 25 words per minute in typewriting well within one year and if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period of one year shall be granted to him to acquire the requisite speed in typewriting and it in the extended period also he again fails to acquire the requisite speed in typewriting, his services shall be dispensed with

- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government servant:

Provided that where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided further that for the purpose of the aforesaid proviso, the person concerned shall explain the reasons and give proper justification in writing regarding the delay caused in making the application for employment after the expiry of the time limit fixed for making the application for employment along with the necessary documents/ proof in support of such delay and the Government shall, after taking into consideration all the facts leading to such delay, take the appropriate decision.

- (2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government servant was employed prior to his death.
- (3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deceased Government servant, who were dependent on the deceased Government servant immediately before his death and are unable to maintain themselves.

COLUMN-I

Existing rule

(4) Where the person appointed under subrule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his services may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

(4) Where the person appointed under subrule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his services may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.

> By order, RAJIV KUMAR, Pramukh Sachiv.



ब्रश्निक्षेत्राच चम्बक संकाणसाम्ब्रीम≒ संदाय≕ मध्यम अधिकारी व मध्यम् । व लाइसीचा ् भीरत ऐंद्र कलीशावल हैत

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रवेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधासी परिशिष्ट भाग-त, खण्ड (क) (सामान्य परिनिमम निमम)

लखनक, बुधनार २२ जनवरी, २०१४ गाम २, १९३५ शक सम्बत्

> उत्तर प्रदेश रारकार कामिक वायुगाग-१

एरंड्स 6/12/73/का-2-dlodlo-tV लखनक, २२ जनवरी, २०१४

> अधिसूचना gastul

+ of lovoits

शक्तिमन के अनुसमेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रभोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश संगाकाल में गृत सरकारी रोवको के आश्रितों की भर्ती निथमावली. 1974 में संशोधन करने की वृद्धि से निम्नलिखित निथमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश रोवाकाल में मृत सरकारी रोवकों के आश्रितों की मती

(ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली २०१४

1-(t) यह नियमावली उत्तर प्रदेश शेवाज्यल में भूत शस्त्रवरी सेवकों के आसिता की मही सक्ति नाम RESID VIII (भ्यारहनाँ संशोधन) नियमावली २०१४ कही जायमी।

(३) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

Date Note and V. V. North pay Strain and day b

नियम 5 का प्रतिस्थापन 2-जितर प्रदेश सेथाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात -

स्तमा-1

विद्यमान नियम

5-गृतक के कुटुग्ब के किसी रादस्य की मर्ती- (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की रोवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) कंन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के रवागित्वाधीन या उत्तके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुदुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेदा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त रांवायोजन प्रदान किया लायेगा यदि ऐसा व्यक्तिः-

> (एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :

> परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित ।क्रंया गया है, और मृत सरकारी संवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं हैं, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएमा कि यह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियग

5-गृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की मर्ती- (1) यृदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चांस किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के खागित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से रोवायोजित न हो तो उसके कुटुग्व के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति:-

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :

परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है और मृत सरकारी रोपक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो जरो इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द

4444

विश्वभाव विश्वभ

अपेकित मित्र कार तमा और विदे वह ऐसा करने में निकान रहता है तो जसकी सामान्य वार्चिक नेरान हिंदी रोक त्यी जाएची और टकम में अपेकित मंत्री साथा करने के दिए जसे असेतर एक वर्च की धन्ती पदान की जाएची और विदे बढ़ानी गर्मी घन्ती में यह टकम में अपेकित गर्मी साथा करने में दिकत रहता है तो जसकी सेवार्च साथाया कर वी

41141 3

एतब्झारा प्रतिस्थापित विश्वम

प्रति चिन्नह की अमेजित गति भाषा कर लेगा और मिन्न वह ऐसा करने में निकल बहता है तो चसकी सामान्य मार्चिक नेतन कृदि शेक ली जाएगी और हकल में अमेजित गति प्राप्त करने के लिए चसे अमेजिर एक वर्ष की अविधि भवान की जाएगी और मार्च बढ़ावी गमी अविधि में भी वह हकल में अपेजित गति प्राप्त करने में निकल रहता है तो चसकी सेजार्च सामान्य कर वी जायेंगी.

परना यह और कि किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किये जाने की वका में जिसाने लिए कम्प्यूटर प्रवालन और टंकण एक अनिवार्ग अहेता के कप में विक्रित की मधी है और मुतक सरकारी सेवक का अधित कम्प्यूटर प्रधालन और टकण में अपेकित प्रवीगता नहीं रखता है तो उसे इस कर्त के अधीन रहते हुए निवृक्त कर लिया जागेगा कि वह एक वर्ष में भीतर ही कम्प्यूटर प्रमालन में बीओ ईए मी सी सोसामदी हारा पदार 'शी शी शी ' प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा जसके संपंकता मान्यता पाला किसी प्रमाण-पत्र के साथ-राध हकल में 25 मध्य पति मिनंद की अधेकित पति अधित कर लेगाः और यदि वत ऐसा करने में विकल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-पृद्धि शेक की जायेगी, और कार्यादर प्रवासन में अधित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित पति अधित करने के लिए एशे एक वर्ष की अधेतर अवधि प्रदान की जायेगी और परि बढायी गयी अवधि में भी वह कम्पूटर प्रवासन ने अपेतित प्रनाण-पत्र और रकण में अपेक्षित गति अधित करने में विकल रहता है तो उसकी सेवाबे समाप्त कर दी वार्थेची ।

(द)) सरकारी लेवा हो लिए अध्यक्षा आहे हो, और

(रो) माकारी सेटा के लिए अन्यका अर्थ हो और

a furth standard the Misselin page \$1 to do when the full standard to the contract of the cont

स्तम्।-1

विद्यमान नियम

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् किठनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु यह और कि रापर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत रामय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अगिलेखों/ सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।

- (2) जहाँ तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।
- (3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।
- (4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें. समय-समय पर यथा

रतम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिरथापित नियग

(तीन) रारकारी रोवक की गृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर रोवायोजन के लिए आवेदन करता है:

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह
समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए
आवेदन करने के लिए नियत सगय सीमा से
किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् किठनाई
होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह
मामले में न्याय-संगत और साम्यपूर्ण रीति से
कार्यवाही करने के लिए आवश्यक सगड़ो,
अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अगिलेखों/ सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।

- (2) जहाँ तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी किमाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें गृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।
- (3) उपनियम (1) के अधीन की गथी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी रोवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।
- (4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी

विद्यमान नियम

संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

स्तम्म-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

सेवायें, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

> आज्ञा से. राजीव कुमार, प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII/73/Ka-2-T.C-IV, dated January 22, 2014:

No.6/X11/73/Ka-2-T.C-IV

Dated Lucknow, January 22, 2014

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (ELEVENTH AMENDMENT) RULES, 2014

1.(1) These rules may be called The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Eleventh Amendment) Rules, 2014.

Short title and commencement

Substitution of

- (2) They shall come into force at once.
- 2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, for existing rule 5 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

5. (1) Recruitment of a member of the family of the deceased- in case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government of a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an

COLUMN-1 Existing rule

5. (1) Recruitment of a member of the family of the deceased-in case a Government servant dies in harness after the commencement of these rules, and the spouse of the deceased Government servant is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government, one member of his family who is not already employed under the Central Government or a State Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall, on making an

When I til A smark V So Nepokie page 20 to the char I

Experience reale

application for the purpose, he given a minimize employment in this employment in this entire in Service with a palar except the post which is within the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission, in relaxation of the normal executioned rules in such person-

(a) Allfith the educational multifaction but powerfed for the polic

Provided that in vave appointment is to be made on a post for which type virting has been prosected as an essential qualification and the dependent of the deceased Severation between dees not possess the required professory in typewriting, he shall be appointed subject to the condition that he would acquire the required speed of 25 words per minute in operating well within one year and if he fails to do so, his general annual increment shall be withheld and a further period of one year shall be granted to him to acquire the requisite speed in typewriting and if in the extended period also be again fails to acquire the requisite speed in typewriting, his acquire the requisite speed in typewriting, his services shall be dispensed with.

CHAMA-3

Nut of Misch indivinities

application on the purpose, he given a suitable emphyment in Consenius of Service on a post except the point which is within the purview of the Unio Pradech Public Service Commission, in telatation of the methal recomment tales if such person.

 (1) विक्रिक और स्वीवनांत्रिको प्राथितिकांत्रिक अस्थानीरचे विक्रिकेट

INVINCE that in the application is in he made the period of a period in which depending has been presented as an executal qualification and the rependent of the deceased contentions servant operations. In what he applicated provincies in the condition that he would acquire the required provincies with condition that he would acquire the required with the required in the period of one year shall be withheld and a made period of one year shall be withheld and a made period of one year shall be withheld and a made period of one year shall be withheld and a made period of one year shall be withheld and a made period of one year shall be withheld and a made period of one year shall be again fails to require the required period also be again fails to require the required period of one year in operations. In

Payeded in their than in case appointment in to be made on a point for which the knowledge of FOR the samened but home to sometime of the convenient language on a between संकारक संस्थातिकारी विभवनात स्था है संस्थातिका में एक्सिमार्थ मिलाईस और महामानु मेर्स रहारे of their of spinished his household remining bloom of 16th normands of the residua bountages тоянуть т этойты УУУ ой эторо A to course Total of the best our homesto national of ment exacts inducings significa-और तीए उनस्थित मानामानगढी और रहे छिन्नानुस्था in shorter see desert 25 to been minute in Converting well within the 19th and, if he fails of that's information investigation with the of little real and is borrow rather a bast shall be अस्मितिएक विश्वास्थ्य और अंग्रियंत का mid का विश्वतक्षत in comparer operation and the required speed in of ode knoof between the his animousous the substitute frames she required to dist single AT PAPER PARTIES OF THE ACTIONS TORONGES the bearing, his services shall be disposed with

COLUMN-1

Existing rule

- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government servant:

Provided that where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided further that for the purpose of the aforesaid proviso, the person concerned shall explain the reasons and give proper justification in writing regarding the delay caused in making the application for employment after the expiry of the time limit fixed for making the application for employment along with the necessary documents/ proof in support of such delay and the Government shall, after taking into consideration all the facts leading to such delay, take the appropriate decision.

- (2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government servant was employed prior to his death.
- (3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deceased Government servant, who were dependent on the deceased Government servant immediately before his death and are unable to maintain themselves.
- (4), Where the person appointed under subrule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his services may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

- (ii) is otherwise qualified for Government service, and
- (iii) makes the application for employment within five years from the date of the death of the Government servant:

Provided that where the State Government is satisfied that the time limit fixed for making the application for employment causes undue hardship in any particular case, it may dispense with or relax the requirement as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided further that for the purpose of the aforesaid proviso, the person concerned shall explain the reasons and give proper justification in writing regarding the delay caused in making the application for employment after the expiry of the time limit fixed for making the application for employment along with the necessary documents/ proof in support of such delay and the Government shall, after taking into consideration all the facts leading to such delay, take the appropriate decision.

- (2) As far as possible, such an employment should be given in the same department in which the deceased Government servant was employed prior to his death.
- (3) Every appointment made under sub-rule (1) shall be subject to the condition that the person appointed under sub-rule (1) shall maintain other members of the family of deceased Government servant, who were dependent on the deceased Government servant immediately before his death and are unable to maintain themselves.
- (4) Where the person appointed under subrule (1) neglects or refuses to maintain a person to whom he is liable to maintain under sub-rule (3), his services may be terminated in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 1999, as amended from time to time.

By order, RAJIV KUMAR. Pramukh Sachiv.